

सं0सं0-शि0शु0नि0स0-01/17 — 06

बिहार सरकार

शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

डा० अशोक कुमार यादव,
उप निदेशक (चिऽशि०)-सह- प्रभारी सचिव
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०)
बिहार, पटना,
वीरचन्द्र पटेलपथ, पटना।

पटना, दिनांक 13/6/17

विषय :- मकान किराया भत्ता के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा निर्गत माननीय न्यायमुर्ति अखिलेश चन्द्रा, (सेवा निवृत्त) सम्प्रति- अध्यक्ष शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना पे स्लीप सं0-05061701085148 Permanent- GE-1-HCJ/70 में मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

विदित हो कि माननीय न्यायमुर्ति अखिलेश चन्द्रा, (सेवा निवृत्त) सम्प्रति- अध्यक्ष शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कोई भी सरकारी आवास आवंटित नहीं है।
अतः भवदीय से सादर आग्रह है कि देय मकान किराया भत्ता की राशि जोड़ते हुए अद्यतन वेतन पर्ची निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त :-

विश्वासभाजन

अशोक कुमार यादव

(डा० अशोक कुमार यादव)

उप निदेशक (चिऽशि०)-सह- प्रभारी सचिव

शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 06 / उ०नि०को०, स्वा०, पटना, दिनांक 13/6/17
प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक (चिऽशि०)-सह- प्रभारी सचिव

शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।